प्रेषक,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः 616 /एस0टी0–एन0जी0टी0 /2023–24 दिनांक 17 अगस्त, 2023

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रा0पत्र सं0 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य पारित आदेश 19.04.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा ओ0ए0 सं0 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पत्र संख्या 975/एस0टी0–एन0जी0टी0/2022–23 दिनांक 09.05.2023 व पत्र संख्या 454/एस0टी0–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः झाँसी विकास प्राधिकरण से अद्यतन आख्या प्राप्त की गयी, जो पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ के समक्ष अग्रेत्तर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,
17/8/23

जिलाधिकारी,
झाँसी।

संख्या व दिनांक तद्

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के कम में सादर अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।
2. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण,झाँसी को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के कम में अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर O.A. No. 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 19–04–2023 के सम्बन्ध में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष O.A. No. 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 19–04–2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

"1. *Issue raised in this application relates to illegal encroachments of green belt and park as per Jhansi Master Plan of 2001 and 2021.*
2. *Vide order dated 02.01.2023, the Tribunal sought a factual report from a Committee of District Magistrate, Jhansi and State PCB.*
3. *The Committee has accordingly given its report dated 03.03.2023 acknowledging the encroachments and stating that encroachments could not be removed due to stay in some cases and due to opposition of the violators in others. Relevant extract from the report is as follows:*

"4. Factual Status Report

a. *In Pursuance to above site verification, following facts have been brought to the notice through reply letter dated 13-02-2023 received from Incharge, Executive Engineer, Jhansi Development Authority and again latest updated report dated 01-03-2023 received from VC Jhansi Development Authority. (Annexure-7), (Annexure8)*

- *The subject is same as in Hon'ble NGT order 14.12.22 in O.A. No. 165/2021 Girjashanker Rai & ors. vs. state of U.P. & Ors. for encroachment in and around Lakshmi Taal area.*
- *As per Hon'ble NGT order in OA no. 165/2021 Girjashanker Rai & ors. vs. state of U.P. & Ors. dated 14.12.22, action has been initiated to remove illegal construction on proposed park land.*
- *To remove illegal construction on proposed park land under Jhansi master plan 2021, total 115 cases of demolition orders has been issued u/s section 27, 28(1) & 28(2) of U.P. Town Planning and Development Act, 1973 as amended 1997.*
- *Against above actions, opposite parties of 26 matters have files petition in Hon'ble High Court, Allahabad and court has given stay in the matters.*
- *Authority has tried for demolition action along with police force in the remaining cases but due to opposition by the local people, demolition could not be done.*
- *The remaining vacant land in the proposed park land of Jhansi Master Plan 2021, in order to impose ban on sale of land sign boards are installed at different places on vacant land.*
- *On the proposed park land in the Jhansi Master Plan 2021 in the revenue village-Pichore, Dadiapura and Taalpura, there are 2275 illegal construction identified by the survey team. Survey is ongoing in MauzaJhansi Civil and Jhansi Khas. At present, there is no illegal construction is going on. Challani action has been initiated under section 27 of U.P. town planning and development act 1973. Thereafter, in the updated report dated 01.03.20222, it was mentioned that according to Jhansi Master Plan 2021, a city park is proposed in the revenue villages Pichhor, Dadiyapura, Talpura, Jhansi Khas and Jhansi Civil. Out of the land proposed for the city park, the survey team was constituted for 125.74 hectares (private tenants) of land in the revenue village-Pichhor, Dadiyapura and Talpura, despite all the obstacles. In spite of the presence of police force, there*

was strong protest by the private tenants. Due to shortage of staff in Jhansi Development authority, Jhansi, It took time to complete the survey work. According to the survey, out of 125.74 hectares (private cultivators) land, 25.32 hectares land is vacant, which is situated in scattered manner in different locations. A Total of 2390 buildings were found during the survey, in which action has taken under the relevant sections of the UP Town Planning and Development Act, 1973 (as amended in 1997). The said area is densely populated and about 13000 people reside in it. Due to 3 strong opposition from the residents, the survey work has taken relatively longer time.

- *Out of 125.74 hectares of land proposed for city park In Jhansi Master Plan 2021, 100.42 hectares of land has been approved by the Authority Board to make it residential on the basis of development of population there since 1970.*
- *In place of the proposed city park in Jhansi Master Plan-2021 a city park has been proposed In Jhansi Master Plan 2031 on 210.00 hectares of land in revenue village Bijauli. The proposed green area in Jhansi Master Plan 2021 is 1280.62 hectares, whereas the proposed green area in Jhansi Master Plan 2031 (Draft) is 2325.69 hectares. Regarding the proposed land area, the report of the Associate Planner, Town and Country Planning Department, Divisional Planning Khand, Jhansi can be seen observable. (photocopy attached)*
- *The survey work is being conducted by the team for Arazi numbers of revenue villages- Jhansi Khas, Vudha and Nayagaon, mentioned in the order dated 02.01.2023 of Hon'ble N.G.T. After the survey and according to the master plan, the land use of Arazi No. 38, 132 and 133 in Revenue Village-Budha is proposed as commercial (central activities-high level). The land use of Arazi No.-123 is proposed as residential (medium density) and the land use of Arazi No.-297, 298, 300, 304 and 305 is proposed as block park.*
- *Similarly, according to the Jhansi Master Plan 2021, land use of Arazi number-560/8 and 560/9 of Nayagaon revenue village is the proposed as industrial (large scale industry). According to the Jhansi Master Plan 2021, the land use of Arazi number-751 of Jhansi Khas revenue village is the proposed as block park.*
- *While Continuing with the task of survey of the above revenue villages, the authority has so far surveyed 115 buildings. Out of these area jhansi khas is located amidst densely populated area due to which the survey work in these areas are likely to take 02 Months."*

4. *We have considered the matter and find that action taken by the State Authorities is inadequate. Though it is stated that 115 demolition orders have been issued under the U.P. Town Planning and Development Act, 1973 and in some cases stay has been granted by the High Court, no justification is shown why remaining illegal constructions have not been removed. Further, it is stated that total encroachments are 2275 while action has been initiated only in 115 cases. We also find that the city 4 park is now proposed, as per new Master Plan, in Village Bijauli which may have the effect of permitting encroachments on public lands to continue, depriving inhabitants of use of open spaces. Mere opposition by local people cannot be a ground to defeat the law.*
5. *During the hearing learned Counsel for the District Magistrate, Jhansi has mentioned that there is another matter being Execution Application No. 38/2022 in OA No. 165/2021, Girja Shankar Rai & Ors. vs. State of Uttar Pradesh & Ors. before this Tribunal on the same issue which is listed on 12.05.2023.*

6. *Accordingly, while directing further action to remove illegal encroachments and filing of compliance report, we direct listing of the present matter on 12.05.2023 alongwith Execution Application No. 38/2022.*

A copy of this order be forwarded to District Magistrate, Jhansi by e-mail for compliance."

मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पत्र संख्या 975/एसटी–एनजीटी/2022–23 दिनांक 09.05.2023 व पत्र संख्या 454/एसटी–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

तत्क्रम में झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी के द्वारा पत्र संख्या 1078/जे0डी0ए0/मा0रा0हरि0अधि0/2023–24 दिनांक 16.08.2022 **(संलग्नक–A)** के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वांछित कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या प्रस्तुत की गयी। आख्या में निम्नवत् उल्लेख है:–

"1. प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम पिछोर, ड़ड़ियापुरा एवं तालपुरा तह0 एवं जिला–झाँसी के झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क में किये गये अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धारा 27 के अन्तर्गत अब तक कुल 222 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षियों द्वारा 26 प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट दायर की गयी हैं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।

2. अवशेष 89 प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 21.04.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के साथ स्थल पर उपस्थित हुआ, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान स्थल पर स्थानीय निवासियों द्वारा प्रबल विरोध किया गया, जिस कारण तद्दिनांक को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

फोटो दिनांक 21.04.2023 स्थानीय निवासियों द्वारा प्रबल विरोध

प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 11.05.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तिथि नियत की गयी थी, परन्तु नियत तिथि को प्रबल विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी, पुनः दिनांक 12.06.2023 को प्राधिकरण का प्रवर्तन दल, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल स्थल पर उपस्थित हुआ, **मौजा–पिछोर एवं मौजा–झांसी खास में स्थित प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध 12 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। फोटोग्राफ संलग्न है।**

फोटो दिनांक 12.06.2023 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 03.07.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तिथि नियत की गयी थी, परन्तु नियत तिथि पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रबल विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

फोटो दिनांक 03.07.2023 स्थानीय निवासियों द्वारा प्रबल विरोध

दिनांक 12.08.2023 को प्राधिकरण का प्रवर्तन दल, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल स्थल पर उपस्थित हुआ, **मौजा–पिछोर एवं मौजा–झांसी खास में स्थित प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध 02 वाउण्ड्रीवाल व 02 भवनों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। फोटोग्राफ संलग्न है। अब तक कुल 16 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।**

फोटो दिनांक 12.08.2023 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

3. प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध अतिरिक्त 2390 नोटिस जारी किये गये हैं, जिसमें विधिक कार्यवाही प्रचलित है, जिसमें स्वामी या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई हेतु नियमानुसार समय प्रदान किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा दिया गया जबाव सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत **अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध अब तक 222 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। (संलग्नक–1)**

4. उक्त 2390 नोटिस के सापेक्ष 375 प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा रिट संख्या–8051/2022 अर्जुन सिंह व 42 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य, रिट संख्या–583/2023 उमेश कुमार नायक व 55 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य, रिट संख्या–10408/2023 सन्तोष कुमार द्विवेदी व 12 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य, रिट संख्या–3154/2023 ऊषा देवी व 177 अन्य उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य एवं रिट संख्या–11931/2023 उमा देवी व 84 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

5. प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम–बूढ़ा एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है, जिसमें 220 भवनों को चिन्हित कर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। राजस्व ग्राम नयागांव तहसील व जिला झांसी में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 67 भवनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस क्षेत्र में मिश्रित आबादी बसी होने के कारण एवं यहां के निवासियों द्वारा कोई सहयोग न करने के कारण सर्वेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है, जिस कारण अतिरिक्त समय लग रहा है। अतः निवेदन है कि **सर्वेक्षण का कार्य करने में 02–03 माह का अतिरिक्त समय दिलाये जाने का कष्ट करें।**

6. प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित किया गया है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में जारी ध्वस्तीकरण आदेशों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित अदेशों के अनुपालन में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुनः प्रस्तावित की जायेगी।"

झाँसी विकास प्राधिकरण के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नगर पार्क क्षेत्र में अवैध अतिकमण को चिन्हित कर अतिकमण को हटाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। **अब तक 2390 भवनों का सर्वेक्षण कर नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ 222 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश दिये गये** हैं परन्तु कुछ प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने और बाकी शेष **89 प्रकरणों में से 16 प्रकरणो में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।**

झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम बूढा एवं झाँसी खास में प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर चिन्हित 220 भवनों के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973(यथा संशोधित 1997) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। **राजस्व ग्राम नयागांव में 67 भवनों का सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है।** इस क्षेत्र में मिश्रित आबादी बसी होने के कारण सर्वेक्षण कार्य में 02–03 माह का अतिरिक्त समय दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण के स्तर से शेष प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रस्तावित की जा रही है।

तद्नुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश के कम में झाँसी विकास प्राधिकरण की अद्यतन अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर निर्देशार्थ सादर प्रस्तुत है।

(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
प्रतिनिधि–एस0पी0सी0बी0
झाँसी।

(श्यामलता आनन्द)
अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
झाँसी।

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

17/8/23
(रविन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी, झाँसी।
(सदस्य/नोडल एजेंसी)

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

संख्या– 1078 / जे.डी.ए. / मा0रा0हरि0अधि0 / (2023–24) दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन E.A.No. 38/2022 मूल प्रा0 प0 सं0–165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, नरेन्द्र कुमार कुशवाहा E.A.No. 38/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 व ओ0ए0 नं. 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.04.2023 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 603/एस0टी0–एनजीटी/2022–23 दिनांक 11 अगस्त 2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल प्रा0पत्र सं0–918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :–

1. प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम पिछोर, ड़ड़ियापुरा एवं तालपुरा तह0 एवं जिला–झाँसी के झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क मे किये गये अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धारा 27 के अन्तर्गत अब तक कुल 222 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षियों द्वारा 26 प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट दायर की गयी हैं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 21.04.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के साथ स्थल पर उपस्थित हुआ, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान स्थल पर स्थानीय निवासियों द्वारा प्रबल विरोध किया गया, जिस कारण तद्‌दिनांक को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

फोटो दिनांक 21.04.2023 स्थानीय निवासियों द्वारा प्रबल विरोध

प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 11.05.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तिथि नियत की गयी थी, परन्तु नियत तिथि को प्रबल विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी, पुनः दिनांक 12.06.2023 को प्राधिकरण का प्रवर्तन दल, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल स्थल पर उपस्थित हुआ, जिसमें **मौजा–पिछोर एवं मौजा–झांसी खास में स्थित प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध 12 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। फोटोग्राफ संलग्न है।**

फोटो दिनांक 12.06.2023 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 03.07.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तिथि नियत की गयी थी, परन्तु नियत तिथि पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रबल विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

फोटो दिनांक 03.07.2023 स्थानीय निवासियों द्वारा प्रबल विरोध

दिनांक 12.08.2023 को प्राधिकरण का प्रवर्तन दल, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल स्थल पर उपस्थित हुआ, **मौजा–पिछोर एवं मौजा–झांसी खास में स्थित प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध 02 वाउण्ड्रीवाल व 02 भवनों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी (फोटोग्राफ संलग्न है)। अब तक कुल 16 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।**

फोटो दिनांक 12.08.2023 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

3. प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध अतिरिक्त 2390 नोटिस जारी किये गये हैं, जिसमें विधिक कार्यवाही प्रचलित है, जिसमें स्वामी या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई हेतु नियमानुसार समय प्रदान किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा दिया गया जबाव सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत **अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध अब तक कुल 222 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। (संलग्नक–1)**

4. उक्त 2390 नोटिस के सापेक्ष 375 प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा रिट संख्या–8051/2022 अर्जुन सिंह व 42 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य, रिट संख्या–583/2023 उमेश कुमार नायक व 55 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य, रिट संख्या–10408/2023 सन्तोष कुमार द्विवेदी व 12 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य, रिट संख्या–3154/2023 ऊषा देवी व 177 अन्य उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य एवं रिट संख्या–11931/2023 उमा देवी व 84 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
5. प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम–बूढ़ा एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है, जिसमें 220 भवनों को चिन्हित कर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। राजस्व ग्राम नयागांव तहसील व जिला झांसी में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 67 भवनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस क्षेत्र में मिश्रित आबादी बसी होने के कारण एवं यहां के निवासियों द्वारा कोई सहयोग न करने के कारण सर्वेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है, जिस कारण अतिरिक्त समय लग रहा है। अतः निवेदन है कि सर्वेक्षण का कार्य करने में 02–03 माह का अतिरिक्त समय दिलाये जाने का कष्ट करें।
6. प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित किया गया है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में जारी ध्वस्तीकरण आदेशों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित अदेशों के अनुपालन में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुनः प्रस्तावित की जायेगी।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

प्रतिलिपि :–
1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यालय प्रति।

उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

अन्तर्गत उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–27 के अधीन

कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

श्रीमती पुष्पा तिवारी पत्नी संतोष तिवारी
पता–मौजा–पिछोर,
झाँसी(उ०प्र०)

पत्र सं०–751 / नगर पार्क / जे.डी.ए. / प्रवर्तन–अवैध निर्माण / 2022–23 दिनांक:–15.03.2023

विषय : आप द्वारा स्थल–मौजा–पिछोर, झाँसी में स्थित भूखण्ड पर निम्नलिखित निर्माण / विकास कार्य किया जा रहा / किया गया है।

लगभग 10 वर्ष पूर्व से आवासी भूखण्ड निर्मित है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नही दिखाया गया है।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित 1997 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा, अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महायोजना / क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन है तथा उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है। दिनांक 15-03-2023 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण / विकास कार्य को गिराने / समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये जायें।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रु0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26(3) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते है अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छः महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रूपये तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सतीश कुमार पत्रवाहक को इस आशय से कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

संलग्नक-1

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

अन्तर्गत उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–27 के अधीन

कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

श्रीमती उपमा द्विवेदी पत्नी श्री पंकज द्विवेदी
पता–पिछोर झांसी

वाद सं0: 758 /नगर पार्क/जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2022–2023 दिनांक: 15-02-2023

विषय : आप द्वारा स्थल–पिछोर झांसी स्थित भूखण्ड पर निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया जा रहा/किया गया है।

लगभग 06 वर्ष पूर्व से भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्मित है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है। दिनांक 15-03-2023 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण/विकास को गिराने/समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएं।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 (3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते है अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छः महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रू. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सतीश पत्र वाहक को इस आशय से कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण ☆ झाँसी ☆

Uttar ...-...-2022

संलग्नक-1

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

अन्तर्गत उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 यथा संशोधित-1997 की धारा-27 के अधीन

कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

श्री रामसिया यादव पुत्र स्व0 श्री गिरबो जी
पता-मौजा-पिछोर, झांसी।

वाद सं0: 751 नगरीय/जे.डी.ए. / अवैध निर्माण / 2022-2023 दिनांक: 15-03-2023

विषय : आप द्वारा स्थल-पिछोर, झांसी। स्थित भूखण्ड पर निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया जा रहा / किया गया है।

लगभग 10 वर्ष पूर्व से भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्मित है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 यथा संशोधित-1997 की धारा-14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन / क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है। दिनांक 15-03-2023..... को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये, कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण / विकास को गिराने / समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएं।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

नोट :- (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/- (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/-(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26 (3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा-25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते हैं अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छः महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रू. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां श्री सतीश पत्र वाहक को इस आशय से कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण ★ झाँसी ★

110 Letter

संलग्नक–1

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

अन्तर्गत उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–27 के अधीन

कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

ईश्वर मैरिज गार्डन

पता–मौजा–पिछोर, झांसी।

वाद सं0: 752 नगर मार्ग/जे.डी.ए. /अवैध निर्माण / 2022–2023

दिनांक: 15-03-2023

विषय : आप द्वारा स्थल–पिछोर, झांसी। स्थित भूखण्ड पर निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया जा रहा / किया गया है।

लगभग 10 वर्ष पूर्व से भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्मित है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन / क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है। दिनांक 14-03-2023...... को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण / विकास को गिराने / समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएं।

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 (3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते हैं अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छः महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रू. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां श्री सतीश पत्र वाहक को इस आशय से कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली करायें तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण ★ झाँसी ★

110 Letter

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

अन्तर्गत उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–27 के अधीन

कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

श्री कौशल कुमार पुत्र स्व0 श्री आनंद स्वरूप
पता–मौजा–पिछोर, झांसी।

वाद सं0: 753 नगर वर्ग/जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2022–2023 दिनांक: 15-02-2023

विषय : आप द्वारा स्थल–पिछोर, झांसी। स्थित भूखण्ड पर निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया जा रहा/किया गया है।

लगभग 10 वर्ष पूर्व से भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्मित है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित–1997 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है। दिनांक 15-03-2023 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बतायें कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण/विकास को गिराने/समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएं।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 (3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते है अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छः महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रू. तक बढ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां श्री सतीश पत्र वाहक को इस आशय से कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

झाँसी विकास प्राधिकरण कार्यालय ★ झाँसी ★

HB Letter

Court No. - 29

Case :- WRIT - C No. - 8051 of 2022

Petitioner :- Arjun Singh And 42 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Kamini Pandey (Dubey),Lavlesh Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prabhat Tripathi

Hon'ble Pritinker Diwaker,J.
Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

Counsel for respondent nos. 2 and 3 prays for and is granted three weeks' time to file counter.

List this case in the week commencing 23.5.2022.

In the meanwhile, no demolition activities shall take place.

Order Date :- 25.4.2022
RK

(Ashutosh Srivastava, J) (Pritinker Diwaker, J)

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2022.04.25 16:47:40 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad

Court No. - 39

Case :- WRIT - C No. - 583 of 2023

Petitioner :- Umesh Kumar Nayak And 55 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Manoj Kumar Sahu
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prabhat Tripathi

Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
Hon'ble Ms. Nand Prabha Shukla,J.

The petitioners herein are the owners of Arazi No. 752 to 755, 817 to 821, 826 to 843, 899 and 891, all situated at Mauja Gumanpur (Pichhor) Jhansi, which they acquired by way of registered sale-deeds executed by the original owners. The copy of the revenue records have been appended with the writ petition to demonstrate that the names of the petitioners have been mutated in the revenue records over the plots in question which are essentially residential plots.

The contention is that the petitioners have constructed their houses over the plots in question after taking No-objection of the competent authorities. The No-objection certificate taken by the Sub Divisional Officer, Jhansi and Tehsil, Jhansi on the report of the Lekhpal is appended at page no.'115' of the paper book to demonstrate that the properties in question is neither the nazul nor Gram Sabha or Government property. The house tax receipt and the electricity bill in respect to the properties in question had been appended to further assert that the petitioners are owners in occupation of the properties in question. The notice under Section 27 of the UP Urban Planning and Development Act, 1973 (in short 'the Act, 1973') has been served upon the petitioners in the year 2020 whereafter the demolition orders have been passed in the year 2021 and 2022.

A perusal of the demolition orders indicates that the constructions in question existing on the spot, have been termed as an 'unauthorized construction' on the premise that they were raised by the petitioners over the lands in question in contravention of Jhansi Master Plan, 2021, wherein the land use of the land in question has been shown as 'city park'.

The contention of learned counsel for the petitioners is that in similar situation, an interim order dated 25.04.2022 has been passed by this Court in Writ-C No. 8051 of 2022.

Against the demolition orders, the petitioners have a remedy of filing appeal under Section 27(3) of the Act, 1973. Moreover, the sanctioned plan of the constructions raised by the petitioners, as per the statement made in the writ petition, are not before us.

No exception therefore can be taken to the demolition order for issuance of mandamus, as prayed for.

At this stage, learned counsel for the petitioners submits that the petitioners may be granted liberty of filing appeal before the competent authority as the limitation has expired. They apprehend that their appeal may not be considered on merits.

Taking note of the said submissions, we dispose of the present petition with the following directions:-

1. The petitioners shall file an appeal within a period of two weeks from today along with the copy of this order before the competent authority.

2. On such an appeal being filed, the competent Appellate Authority shall consider the same on merits without raising any objection as to the limitation in filing the appeal. A decision, in accordance with law, shall be taken on the merits of the claim of the petitioners without being influenced by any of the observations made herein above, by passing a reasoned and speaking order preferably within a period of six weeks from the date of the receipt of the application. The interim application, if any, filed along with the appeal shall also be considered and decision be taken thereon within a period of 10 days from the date of filing of the same.

For a period of two months or till disposal of the appeal, which ever is earlier, no further demolition exercise shall be conducted.

However, in case the petitioner fails to file the appeal within the time given above, it would be open for the respondent to proceed in accordance with law.

Order Date :- 24.2.2023
P Kesari

Digitally signed by :-
PRACHI KESARWANI
High Court of Judicature at Allahabad

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 10408 of 2023
Petitioner :- Santosh Kumar Dwivedi And 12 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Syed Mushfiq Ali
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prabhat Tripathi

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Hon'ble Prashant Kumar,J.

The petitioners have challenged show-cause notices dated 14.02.2023 issued to them individually stating that they had raised constructions without obtaining approval of the authority under Section 14 of the UP Urban Planning and Development Act, 1973 and, therefore, they should appear before the authority and show cause as to why illegal constructions raised by them should not be demolished.

The petitioners have admittedly filed objections against the impugned show-cause notices issued to them.

Learned counsel appearing on behalf of the Development Authority- Shri Prabhat Tripathi states that the authority will pass order after taking into consideration the objections filed by the petitioners.

Accordingly, without interfering with the impugned show-cause notices, the petition is disposed of with direction to the respondents- authority to pass final order after taking into consideration the explanation submitted by the petitioners and until final decision is taken, not to carry out any demolition.

(Prashant Kumar, J.) (Manoj Kumar Gupta, J.)

Order Date :- 3.4.2023 /Rama Kant

Digitally signed by :-
RAMAKANT
High Court of Judicature at Allahabad

Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 3154 of 2023

Petitioner :- Usha Devi And 177 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Kamini Pandey (Dubey),Lavlesh Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prabhat Tripathi

Hon'ble Pritinker Diwaker,Chief Justice
Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.

Ms. Kamini Pandey, learned counsel for the petitioners, Sri Prabhat Tripathi, learned counsel for Jhansi Development Authority and Ms. Akanksha Sharma, learned standing counsel for the State-respondents.

Connect with Writ C No. 8051 of 2022.

All the respondents are represented. They pray for and are granted four weeks time to file counter. Petitioner will have two weeks thereafter to file rejoinder.

List this case in the week commencing 10.07.2023.

Till the next date of listing, no demolition may take place.

Order Date :- 11.4.2023
SK

(S.D. Singh,J.) (Pritinker Diwaker,CJ.)

Digitally signed by :-
SANDEEP KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 11931 of 2023

Petitioner :- Uma Devi And 84 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Lavlesh Kumar Sharma,Kamini Pandey (Dubey)
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prabhat Tripathi

Hon'ble Pritinker Diwaker,Chief Justice
Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.

1. Heard Ms. Kamini Pandey, learned counsel for the petitioners, Sri Prabhat Tripathi, learned counsel for Jhansi Development Authority and Ms. Akanksha Sharma, learned Standing Counsel for the State-respondents.

2. Connect with Writ C No. 3154 of 2023.

3. All the respondents are represented. They pray for and are granted four weeks' time to file counter affidavit. Petitioners shall have two weeks thereafter to file rejoinder affidavit.

4. List this case in the week commencing 10.07.2023 along with Writ C No. 3154 of 2023.

5. Till the next date of listing, no demolition may take place.

Order Date :- 11.4.2023
SA

(S.D. Singh, J.) (Pritinker Diwaker, CJ)

Digitally signed by :-
SALMAN ALI
High Court of Judicature at Allahabad